## नियम और शर्ते / निर्देश/ TERMS AND CONDITIONS/INSTRUCTIONS

- अधिकारियों के माप/आवश्यक कपड़े सहित अधिकारियों की सूची पी.ओ. के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। / List of officials along with size/required cloth of officials will be provided with the Purchase / Work Order.
- एल-1 या चयनित पार्टी को वित्तीय विवरणी खोलने से पहले वापसी योग्य आधार पर यूनिफार्म के नमूने का एक सेट उपलब्ध कराना होगा। / The L-1 or selected bidder/party has to provide one set of Sample of uniform on returnable basis before opening of Financial Bid.
- सिलाई (यदि आवश्यक हो), सामग्री की गुणवत्ता आदि में किसी भी दोष के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा I/ Supplier shall be responsible for any defect in stitching (if required), quality of material etc. which may result in poor quality.
- शर्ट और ट्राऊजर के आकार को दर्शाने वाला लेबल पैकेट पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। / The label indicating the size of shirt & trouser shall be clearly indicated on the packet.
- ईओआई प्राप्त करने की राशि रु. 590/- है, जो डी डी / चेक के माध्यम से संस्थान में अन्यथा नकद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते है, ईओआई संस्थान के कार्यालय में सीलबंद लिफाफे में यूनिफार्म (बिना सिले हुए) की आपूर्ति के लिए ईओआई अंकित कर 15.09.2021 सायं 4:00 बजे तक जमा कर सकते हैं I Amount to be paid for EOI Rs. 590/-, which can be obtained through DD/Cheque in favor of CENTRAL INSTITUTE OF PETROCHEMICALS ENGINEERING & TECHNOLOGY payable at Ranchi, otherwise by depositing cash at the Institute, EOI for supply of Uniform (Unstitched) in a sealed cover at the Institute's office on 15.09.2021 P.M. till 4:00 PM
- ईओआई की तारीख प्रकाशन से अगले 20 दिनों के लिए वैध रहेगा EOI shall remain valid for 20 days after publication of EOI advertisement.
- कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। / The work should be completed within 15 days time.
- कार्य संतोषजनक नहीं होने या विलंब होने की स्थिति में, सिपेट आदेश को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। /In case of work not completed satisfactory or in case of delay, CIPET shall be free to cancel the order.
- ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम'1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों में पिरिभाषित अनुसार ठेकेदार अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को कम से कम उचित मजदूरी का भुगतान करेगा। I / The contractor shall pay to labour employed by him wages not less than fair wages as defined in the contract labour (Regulation & Abolition) Act'1970 and Rules made there under.
- निविदा स्क्रॉल में निर्दिष्ट ईओआई वैधता की अविध के दौरान संगठन अपना ईओआई वापस लेता है। / Organization withdraws his EOI during the period of EOI validity specified in the tender Scroll.

- टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) सरकार के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार काटा जाएगा, यदि लागू हो। / TDS (Tax Deducted at Source) will be deducted as per prevailing rules and regulations of the Government, if applicable.
- प्रतिभागी ईओआई फॉर्म को पूरा करेगा और दस्तावेजों में उपयुक्त आवश्यक फ़ील्ड भरेगा, जिसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का संकेत, सामग्री, मात्रा और कीमतों का संक्षिप्त विवरण होगा। Participant shall complete the EOI Form and fill the appropriate required fields in the Documents, indicating for the goods to be supplied, a brief description of the Goods, quantity and prices.
- वितीय विवरणी निविदा दस्तावेज के मूल्य अनुसूची के तहत दिए गए निर्धारित प्रारूप (एक्सेल प्रारूप) में प्रस्तुत की जानी चाहिए Financial details should be submitted in the prescribed format (Excel Format) given under price schedule of the Tender Document.
- प्रतिभागी द्वारा उद्धृत दर हढ़ होनी चाहिए और इस कार्य के लिए किसी भी कारण से किसी भी
  प्रकार की वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा । / The rate quoted by the participant should
  be firm and no escalation on any account whatsoever shall be paid for this work.
- सिपेट, रांची सफल पार्टी को एक पत्र / ई-मेल द्वारा लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसकी ईओआई स्वीकार कर ली गई है और आपूर्ति के लिए तैयार है CIPET, Ranchi will notify the successful bidder in writing by a registered letter / e-mail to be confirmed that his EOI has been accepted and ready to supply.
- आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करने के लिए सामग्री विवरण, मात्रा, इकाई मूल्य, कुल राशि दिखाते हुए चालान की मूल और तीन प्रतियां जमा करनी होंगी I / Supplier has to submit original and three copies of the invoice showing goods description, quantity, unit price, total amount for releasing the payment.
- मदों/ सामग्री की आपूर्ति के बाद 100% राशि का भुगतान किया जाएगा 100% amount shall be paid after supply of the item quantity.
- दी गई संख्या में शर्ट और ट्राऊजर की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। और आकार और केंद्र में वितरण The suppliers shall be solely responsible for supplying the shirts & trousers in the given nos. & sizes and delivery at centre.
- संयुक्त निदेशक और प्रमुख, सिपेट:सीएसटीएस-रांची बिना कोई कारण बताए किसी भी ईओआई/निविदा या सभी निविदाओं को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।The Joint Director & Head, CIPET:CSTS-Ranchi reserves the right to accept or reject any EOI/tender or all tenders at any time prior to award of contract without assigning any reasons whatsoever and no correspondence shall be entertained in this regard.
- इस समझौते से उत्पन्न या इससे जुड़े किसी भी मामले से संबंधित क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद या मतभेद के मामले में, ऐसे विवाद या मतभेद न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, रांची (झारखंड) के भीतर संदर्भित किए जाएंगे। I /In the case of a dispute or differences arising between the purchaser and Supplier relating to any matter arising out or connected with this agreement, such dispute or differences shall be referred within the Jurisdiction of Court, Ranchi (Jharkhand).

\*\*\*\*\*\*\*